

कुलानुशासक कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

दिनांक 21.01.2017

सूचना

दिनांक 17.11.2016 को कुलानुशासक को दी गयी मौखिक सूचना के आधार पर यह संज्ञान में लाया गया था कि विधि संकाय नवीन परिसर के छात्र श्री वीरेश यादव, श्री आशुतोष एवं श्री सुमेश आदि छात्रों ने कुछ कनिष्ठ छात्रों के साथ मार-पीट कर उनके साथ अभद्रता की, तथा उनको जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह भयभीत तथा मानसिक रूप से परेशान है।

उक्त सूचना के आधार पर सन्दर्भित तीनों छात्रों को कुलानुशासक कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना जारी की गयी, जिस सम्बन्ध में वीरेश यादव एवं आशुतोष नामक 04 छात्रों ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर ऐसे किसी भी प्रकार की घटना में सम्मिलित न होने की जानकारी दी। प्रोवोस्ट विधि छात्रावास नवीन परिसर ने भी छात्रावास के अन्तःवासियों का लिखित अभिकथन प्राप्त कर दिनांक 08.12.2016 को यह संज्ञान में लाया कि विधि छात्रावास में रैगिंग जैसी कोई घटना नहीं घटित हुयी है। पुनः दिनांक 05.01.2017 को उन्होंने छात्रावास में एक अत्यावश्यक सूचना प्रसारित कर विषयगत घटना के सम्बन्ध में पीडित पक्ष को इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने को कहा, परन्तु किसी ने कोई अभिकथन नहीं दर्ज कराया।

परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.01.2017 को ऐन्टी रैगिंग कमेटी की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के सापेक्ष नवीन परिसर के छात्र-छात्राओं को पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.11.2016 को यदि किसी छात्र के साथ कोई अप्रत्याशित या रैगिंग जैसा कोई कदाचरण किसी के द्वारा कारित किया गया हो तो तत्सम्बन्धी सूचना आगामी दिनांक 23.01.17 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक कुलानुशासक कार्यालय में अथवा कुलानुशासक की ई मेल आईडी proctor@lkouniv.ac.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदालोक में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। सभी सूचना पूरी तरह से गोपनीय रक्खी जायेगी।

(प्रो०विनोद सिंह)

संख्या ११६-१११

दिनांक : 21.01.2017

1. प्रतिलिपि निर्देशक आई०पी०पी०आर० लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की समस्त सम्मानित समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
2. प्रभारी, कमप्यूटर अनुभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(प्रो०विनोद सिंह)

कुलानुशासक